## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण कमांक अपील 8026–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–8–16 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)2016–17/4033.

---

मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड
द्वारा अधिकृत – राजीव मित्तल पुत्र श्री सतीश मित्तल,
निवासी डिस्टलरी कैम्पस, नौगांव,
जिला छतरपुर संभाग सागर म0प्र0 ----- अपीलांट

**विरूद्ध**

आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर ----- रिस्पोंडेंट

---

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह किरार ।
रिस्पोंडेंट की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला ।

---

**:: आदेश ::**

**( आज दिनांक 22.12.16 को पारित )**

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2016–17/4033 में पारित आदेश दिनांक 09–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 ( जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा ) की धारा 62 (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट मेसर्स जेगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड, नौगांव जिला छतरपुर (पूर्ववती नाम कॉक्स इंडिया लिमिटेड) को वर्ष 2014–15 हेतु बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय के लिए टीकमगढ़ प्रदाय क्षेत्र आवंटित था । जिला आबकारी अधिकारी, जिला टीकमगढ़ ने उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सागर के पत्र दिनांक 11–9–14 एवं विभिन्न पत्रों से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि मद्यभाण्डागार, टीकमगढ़, जतारा एवं निवाड़ी में माह अप्रेल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक भरी हुई बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है, जिससे मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे हैं । इस संबंध में अपीलांट को

दिनांक 1–11–14 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका उत्तर अपीलांट इकाई द्वारा 28–11–14 को प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांट कंपनी को म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के उल्लंघन का दोषी एवं नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय मानते हुए 20000/– रूपये की शास्ति आरोपित की साथ ही उन्होंने उक्त मद्यभाण्डागारों में अप्रेल 2014 से माह सितम्बर 14 की अवधि तक कुल 142 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने से रूपये 500/– प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 71,000/– तथा 184 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम संग्रह न रखने से रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 46,500/– इस प्रकार कुल रूपये 1,37,000/– की शास्ति आरोपित की । आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों के मौखिक तर्क सुने गये । अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपील मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4– रिस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4– उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया गया । प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वर्ष 2014–15 का है । न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के लिए अपीलांट को यथासमय नोटिस दिए गए हों इस संबंध में कोई प्रमाण आबकारी आयुक्त के अभिलेख में नहीं हैं । जबकि प्रकरण में माहवार समीक्षा करके तुरंत नोटिस दिया जाना चाहिए था । न्यूनतम संग्रह रखने संबंधी प्रावधान का उद्धेश्य यह है कि प्रदाय संविदाकार को बाध्य करें ताकि मदिरा प्रदाय करने में निरंतरता बनी रहे । न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के लिए काफी समय पश्चात नोटिस देने की स्थिति में इस नियम की मंशा पूरी नहीं होती है । अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके अनुसार आपूर्ति प्रभावित हुई हो या न्यूनतम संग्रह न रखने के कारण शासन द्वारा मदिरा खुले बाजार से क्रय की गई हो, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई हो न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 366 (ग्वालियर डिस्टिलर्स (मेसर्स) विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा

एक अन्य ) में इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 1955 एवं ए0आई0आर0 1973 एस0सी0 1098 पर आधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> " संविदा अधिनियम, 1872 – धारा 74 – एकपक्ष द्वारा किसी संविदा के निबंधन भंग – दूसरे पक्ष को हानि हुई, ऐसी हानि मात्र वसूल की जा सकती है – "संत्रासकाकर शास्ति " अधिरोपित नहीं की जा सकती है । "

शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरूद्ध उडीसा राज्य ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 253 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> " But the liability to pay penalty does not arise merely upon proof of default in registering as a dealer. An order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi criminal proceeding, and penalty will not ordinarily be imposed unless the party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumacious or dishonest, or acted in conscious disregard of its obligation. Penalty will not also be imposed merely because it is lawful to do so. Whether penalty should be imposed for failure to perform a statutory obligation is a matter of discretion of the authority to be exercised judicially and on a consideration of all relevant circumstances. Even if a minimum penalty is prescribed, the authority competent to impose the penalty will be justified in refusing to impose penalty, when there is a technical or venial breach of the provisions of the Act or where the breach flows from a bonafide belief that the offender is not liable to act in the manner prescribed by the statute."

इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक अपील 1003–पीबीआर / 11 ( मेसर्स ग्रेट गेलेयन लिमिटेड, धार विरूद्ध आबकारी आयुक्त ) में विद्वान अध्यक्ष ने दिनांक 22–12–11 को आदेश पारित करते हुए न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 253, 1997 आर0एन0 366, 1989 आर0एन0 76, 1992 आर0एन0 244 एवं 1995 आर0 एन0 157 के अनुसरण में आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित शास्ति को समाप्त करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया गया है तथा अपील स्वीकार की गई है ।

वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ऊपर उद्धरित न्यायदृष्टांत पूरी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट आसवक द्वारा जानबूझकर न्यूनतम संग्रह से कम

संग्रह रखा गया है और उसके द्वारा दोषी मंशा से उक्त कृत्य किया गया है । प्रकरण में किसी फुटकर ठेकेदार को कोई नुकसान होना तथा राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि होना भी प्रतिवेदित नहीं है । आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य पर बिना विचार किये यांत्रिकी रूप से शास्ति आरोपित की गई है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय की पूर्णपीठ, खंडपीठ एवं एकलपीठ द्वाराप्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण समाप्त किए जाने योग्य है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त का पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 09—8—2016 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है । अपील स्वीकार की जाती है ।

( एम0 के0 सिंह )
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर